Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SIKAR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 23-12-2022 6:14 PM

Fee Receipt No	:	202202327035716	Receipt Date	:	23/12/2022
Name	:	VINAY PRAKASH CHOTIA ADV., JITENDRA KUMAR MISHRA S/O RAMGOPAL MISHRA	Document S. No.	:	202201327034969
Address	:	NEW BALAJI VIHAR AAWASIYA YOJANA,NANI SIKAR			
Document Type	:	Inspection And Search			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 600
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 600**
From Year 2010 To Year 2021			**Total Amount**	:	**₹ 600**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 69970780 ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

Vinay Prakash Chotia
Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493

ADVOCATE

Office/Residence:
W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No. .... Date ...23.12.2022

Ref. No.- 759/ADV/New Balaji Vihar/ 23.12.2022

To,

Registrar (RERA),
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur.

Sub:- Title search report of **Residential Property Project "New Balaji Vihar Aawasiya Yojana" for Registration Certificate of Project under RERA, ACT, 2016 in respect of** Residential converted land **Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare; Total Rakba 10648 Sq. Meter;** Land Situated at Revenue Village Nani, Patwar Halka Nani, Tehsil Sikar Grameen and District Sikar Rajasthan belongs to Khatedar **Mr. Jitendra Kumar Mishra s/o Mr. Ramgopal Mishra**; Residential Land presently belongs to Nagar Sudhar Nyas, Sikar in Ger Mumkin Aawasiya.

Brief history of title:- Initially **Khata No. 863, Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare** Land Situated at Revenue Village Nani, Patwar Halka Nani, Tehsil Sikar Grameen and District Sikar Rajasthan. According to Jamabandi Samwat 2075-78, above mentioned **whole khasara land** belongs to Khatedar **Mr. Jitendra Kumar Mishra s/o Mr. Ramgopal Mishra;** Khasara Land Situated at Revenue Village Nani, Patwar Halka Nani, Tehsil Sikar Grameen and District Sikar Rajasthan.

Thereafter he **decided to develop a residential colony in his land and then applied for conversion of land (Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare)** under jurisdiction in **the office of Nagar Sudhar Nyas Sikar Rajasthan by submitting all previous title documents/Jamabandi.**

Thereafter, the office of **Nagar Sudhar Nyas Sikar** Rajasthan **converted the use of land from (Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare) agricultural to Non Agricultural Residential purpose** under section 90(A) Rajasthan Land Revenue Act, 1956; **vide order No.- LU/2012/SIK/2022-23/100283, Dated 03.11.2022** and thereafter, **mutation filled in favour of Nagar Sudhar Nyas, Sikar Rajasthan**; and above mentioned whole **Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare** changed into New **Khasara No. 1990/1062 Rakba1.0650 Hectare** in Ger Mumkin Residential Purpose in the name of UIT Sikar Rajasthan.

Thereafter, he applied to the office of Nagar Sudhar Nyas, Sikar Rajasthan for approval of project site plan at above mentioned converted land Scheme "**New Balaji Vihar Aawasiya Yojana**" at Village Nani, District Sikar.

Then, Office of Nagar Sudhar Nyas, Sikar approved the project site map of this land scheme "New Balaji Vihar Aawasiya Yojana" vide letter No.- NagarVikasNyas/Niyaman/2022/5101, Dated 21.12.2022 under term and condition of Township Policy 2010.

Scanned with CamScanner

Vinay Prakash Chotia
Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493

ADVOCATE

Office/Residence:
W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No. .... Date ..23/12/2022

Mr. Jitendra Kumar Mishra s/o Mr. Ramgopal Mishra is absolute owner of the said residential converted land as per the records available and **presently above mentioned land is in the name of Nagar Sudhar Nyas, Sikar in Ger Mumkin Aawasiya.**

I, further certify that **Mr. Jitendra Kumar Mishra s/o Mr. Ramgopal Mishra** have a valid and marketable title/right in the property and land is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search receipt enclosed, Document Sr. No. 202202327035716, Dated 23.12.2022 at Sub Registrar Sikar and Sr. No. 202202569000863, Dated 23.12.2022 at Sub Registrar Sikar Grameen, District Sikar Rajasthan herewith for ready reference.

VINAY PRAKASH CHOTIA
Panel Advocate

VINAY PRAKASH CHOTIA ★ ADVOCATE ★ R/2165/2002

Scanned with CamScanner

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नानी
पटवार हल्का :- नानी
भू.अभि.नि. :- सीकर
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) मे स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 863
खाता संख्या पुराना :- 843

काश्तकार का नाम:-

1. जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण नि.पंटाघर के पास गढ के पास गली मोरी का बास सीकर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1990/1062	1.0650	बारानी 1 1.0650			स्वीकृत नामांतरकरण : 2599 21/01/2022 विभाजन	
कुल खसरे - 1	1.0650	1.0650				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 17-Aug-2022

NIC

P.35
3804

[illegible]
पटवारी
[illegible]/09/2022

Scanned with CamScanner

Home

LOCATION

जिला : 23 सीकर, तहसील : 383 सीकर ग्रामीण, RI : 3061 नानी, Halkas : 01914 नानी, गाँव : 07066 नानी, Sheet No : 001

Plot No: 1990/1062

SELECT REPORT

◉ Single Plot

○ All Plots of same owner

Show Report

Show Report PDF

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/12/2022 12:43:40 PM

जिला :सीकर   तहसील : सीकर ग्रामीण   भू. अ. नि. क्षेत्र :नानी

पटवारी हल्का :नानी   ग्राम : नानी

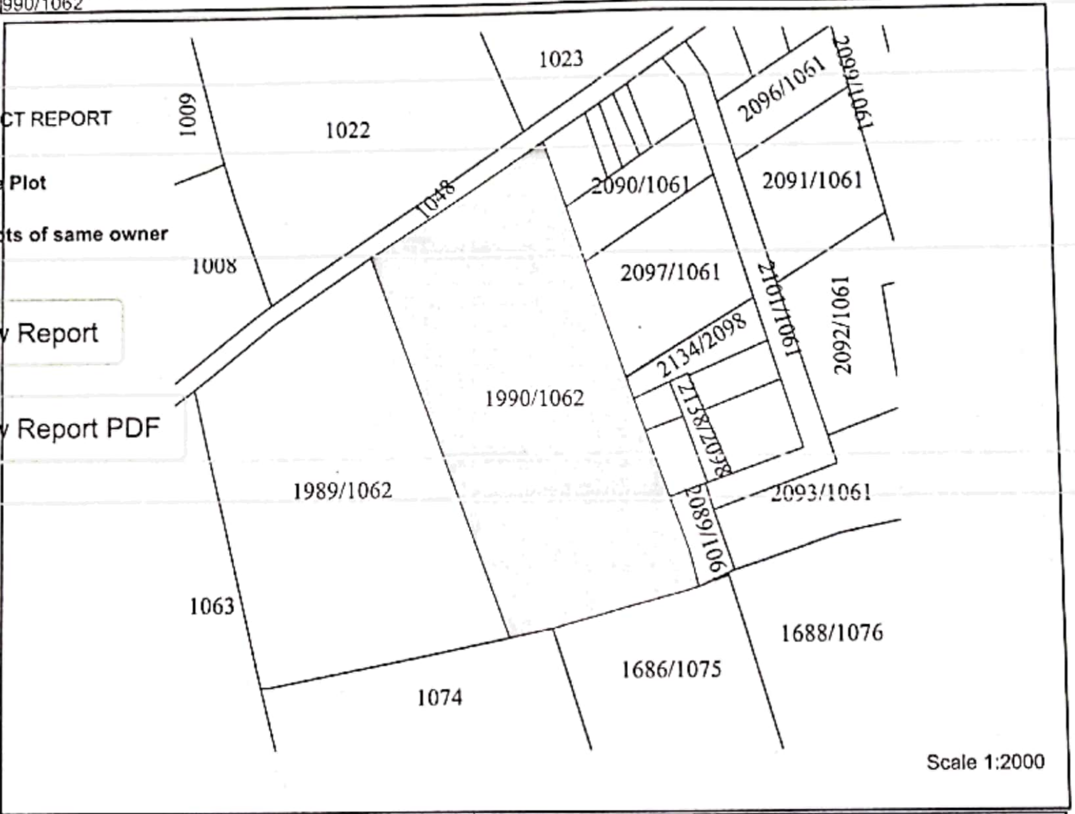

खसरा संख्या :1990/1062 क्षेत्रफल : 1.0650 Hectare खाता संख्या : 813 पुराना खाता संख्या :843

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: आवासीय प्रयोजनार्थ [1.0650]

1.) नगर विकास न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner

P-35
3804

Scanned with CamScanner

प्ररूप–11

{नियम 7 (1) देखिए}

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सीकर

मामला सं.– LU2012/SIK/2022-23/100283

1. जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा जाति ब्राहाण नि. घंटाघर के पास गढ के पास की गली मोरी का बास सीकर।

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक– 03.11.22

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैः–

तहसील एवं जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
तह. सीकर ग्रामीण व जिला सीकर	नानी	1990/1062	1.0650 है.

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है/करवा लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवे दित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना के अन्तर्गत है। आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क, 91 और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि **राजस्व ग्राम नानी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1990/1062 रकबा 1.0650 है.** भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावे और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 03/11/22 को पारित किया गया।

राजपाल यादव (RAS)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः– नविन्या/नियमन/2022/4756–61

दिनांकः– 03/11/22

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. अधिशाषी अभियंता/उप नगर नियोजक कार्यालय हाजा।
2. तहसीलदार, तह. सीकर ग्रामीण को पूर्वोक्त भूमि को नगर विकास न्यास, सीकर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. जतेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा जाति ब्राहाण नि. घंटाघर के पास गढ के पास की गली मोरी का बास सीकर।
4. नियमन शाखा/राजस्व शाखा कार्यालय हाजा।

राजपाल यादव (RAS)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक: LU2012/SIK/2022-23/100283 दिनांक: 30/09/2022

लोक सूचना

श्री **JITENDRA KUMAR MISHRA** पुत्र श्री **RAMGOPAL MISHRA** जाति **BRAHMAN** निवासी **WARD NO.16,MORI KA BASS, GARH KE PASS WALI GALI, NAYA SAHAR SIKAR (RAJ.)** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नानी, सीकर (सीकर)	JITENDRA KUMAR MISHRA S/O RAMGOPAL MISHRA	1990/1062	10650	1.065
				कुल	**1.065**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **30-09-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नानी
पटवार हल्का :- नानी
भू.अभि.नि. :- नानी
तहसील :- सीकर ग्रामीण
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 813
खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1392/965	0.5600	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.5600			स्वीक्रत नामांतरकरण : 2767 06/12/2022 न्याया. आदेश	
1699/990	0.7920	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.7920			स्वीक्रत नामांतरकरण : 2769 07/12/2022 न्याया. आदेश	
1990/1062	1.0650	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.0650			स्वीक्रत नामांतरकरण : 2772 22/12/2022 न्याया. आदेश	
2108/1393	0.8972	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.8972				
2110/959	0.7176	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.7176				
2142/997	0.8892	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.8892				
876	0.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600				
877	1.2000	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.2000				
कुल खसरे - 8	6.1810		6.1810				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 4-Jan-2023

NIC

Scanned with CamScanner